		Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (forconsidering promotion) consisting of:- 1. Registrar General, India -Chairman; 2. Additional Registrar General or Deputy RegistrarGeneral (Census and Tabulation) -Member; 3. Under Secretary (Administration) or Deputy Director(Administration), Office of the Registrar General, India -Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Registrar General, India -Chairman; 2. Additional Registrar General or Deputy Registrar General (Census and Tabulation) -Member; 3. Under Secretary (Administration) or Deputy Director(Administration), Office of the Registrar General, India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-51011/1/2022-Ad V]

S. N. SHARMA, Director

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

सा. का. नि. 181.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (मात्स्यिकी प्रभाग, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालाय, मत्स्यपालन विभाग, सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और यथा संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)	05* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, (67700-208700 रुपये)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर या समुद्री जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर या औद्योगिक मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर या जलकृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर या मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या संघ राज्य क्षेत्र या	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय	60% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत

विधि या स्वायत्त संगठन से मात्स्यिकी (समुद्री या अंतर्देशीय या जलकृषि) क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हता शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता, संघ लोक सेवा आयोग आयोग के विवेकाअनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दिशा तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदयों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणीशास्त्र में डॉक्टरेट ।		सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति द्वारा:- अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मात्स्यिकी संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं:- **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स - कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव, मत्स्यपालन विभाग, –अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग –सदस्य; 3. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग –सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन),मत्स्यपालन विभाग –सदस्य; 5. मात्स्यिकी विकास आयुक्त, मत्स्यपालन विभाग –सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग, -अध्यक्ष; 2.संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग –सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन),मत्स्यपालन विभाग –सदस्य; 4. मात्स्यिकी विकास आयुक्त, मत्स्यपालन विभाग –सदस्य।	सीधी भर्ती करते करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा .सं. ए-12018/4/2021 प्रशा. I]

कृष्ण पाल, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 26th December, 2024

G.S.R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, (Fisheries Division, Group ‘A’, Group ‘B’ and Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relates to the post of Assistant Commissioner (Fisheries) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commissioner (Fisheries) in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries namely: -

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Assistant Commissioner (Fisheries) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in pay matrix:-The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.: - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications: - No Person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix .**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Assistant Commissioner (Fisheries).	5* (2024) * subject to Variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 (Rs. 67700-208700).	Selection.	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whethageand educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: (i) Masters degree in Zoology with specialization in Fisheries; or Master of Fisheries Science or Master of Science in Marine Biology or Master of Science in Industrial Fisheries or Master of Science in Aquaculture or Master of Science in Fisheries Science from a Recognized University or Institute. (ii) Five years experience in the field of fisheries (Marine or Inland or Aquaculture) from a Central or State Government Department or public sector undertaking or recognised research institute or Union-territory or statutory or autonomous organisation.	Not applicable	One years for direct recruits. There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in respect of direct recruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	60% by promotion failing which by deputation (including Short-term Contract) 40% by deputation (including Short Term Contract) failing both by direct recruitment.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be			
available to fill up the vacancies reserved for them. **<u>Desirable:</u>** Doctorate degree in Zoology from a recognized University or Institute.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: Research Officer (Fisheries) with five years regular service in the level-10 of pay matrix and having successfully completed two weeks training related to fisheries as prescribed by the Competent Authority. **Deputation (Including Short-Term Contract)** Officers of the Central or State Government or Union Territory Administration or autonomous or statutory organizations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-10 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed under Column (7). **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall also not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by Deputation (including Short- Term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: — (1) Secretary, Department of Fisheries - Chairman; (2) Joint Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member; (3) Joint Secretary (Fisheries), Department of Fisheries - Member; (4) Director or Deputy Secretary (Admn), Department of Fisheries- Member; (5) Fisheries Development Commissioner, Department of Fisheries - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary (Admn), Department of Fisheries - Chairman; 2. Joint Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries - Member; 3. Director or Deputy Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member; 4. Fisheries development Commissioner, Department of Fisheries - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making recruitment on direct recruitment.

[F. No. A-12018/4/2021 Admn I]

KRISHAN PAL, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.08 16:29:51 +05'30'